

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, तारीख 27 जुलाई, 2017

शुद्धिपत्र

सा.का.वन. (अ).- भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.वन. 666(अ) तारीख 28 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अवधिसूचना सं. 1/2017-एकीकृत कर (दर), तारीख 28 जून, 2017 में,-

क) अनुसूची में I-5%,-

- (i) क्रम सं0 59 में, स्तंभ(3) में "1106 10 90" के स्थान पर "0713" पढ़ा जाये ;
- (ii) क्रम सं0 61 में, स्तंभ (2) में "1106 10 90" के स्थान पर "0713" पढ़ा जाये ;
- (iii) क्रम सं0 92 में,-
 - क) स्तंभ (2) में "1702" के स्थान पर "1702 या 1704" पढ़ा जाये;
 - ख) स्तंभ (3) में "पामीरा चीनी" के स्थान पर "पामीरा चीनी, मिश्री, बताश, बुरा" पढ़ा जाये;
- (iv) क्रम सं0 185 में, स्तंभ (3) में "अगरबत्ती" के स्थान पर "अगरबत्ती,लोभान " पढ़ा जाये;
- (v) क्रम सं0 220 में, स्तंभ (3) में-
 - क) "साइमा" के स्थान पर "सलमा" पढ़ा जाये;
 - ख) "गोटासितारा" के स्थान पर "गोटा, सितारा" पढ़ा जाये;
 - ग) "गलजल" के स्थान पर "गजाई" पढ़ा जाये;
- (vi) क्रम सं0 234 में, स्तंभ (3) में प्रविष्टि (छ) के पश्चात, स्थापित करें "(झ) में फोटो वाल्टिक सेल्स, चाहे वो मोडयूल में असेम्बल हों अथवा नहीं अथवा पैनल में बने हों अथवा नहीं";

(ख) अनुसूची II-12%,-

- (i) क्रम सं0 14 में, स्तंभ (3) में "शैल्ड या पील्ड", के पश्चात, स्थापित करें "और शुष्क नारियल";
- (ii) क्रम सं0 16 में, स्तंभ(3) में "छुआरा" के स्थान पर " छुआरा (मुलायम या हार्ड)" पढ़ा जाये ;
- (iii) क्रम सं0 56 में, स्तंभ (3) में "क्रम संख्या 1(च)" के स्थान पर "क्रम संख्या 1(छ)", पढ़ा जाये ;
- (iv) क्रम सं0 74 में, स्तंभ (3) में "3302" के स्थान पर "3301" पढ़ा जाये ;
- (v) क्रम सं0 231 में, स्तंभ (3) में "शीर्षक 9208" के स्थान पर "शीर्षक 9208 या 9705" पढ़ा जाये ;

(ग) अनुसूची III-18%,-

- (i) क्रम सं0 55 में, स्तंभ (3) में "फाउंटेन पेन और बालपेन की स्याही" के स्थान पर "फाउंटेन पेन और बालपेन की स्याही के अलावा" पढ़ा जाये;
- (ii) क्रम सं0 133 में, स्तंभ (3) में "कृत्रिम फर और उसकी वस्तुएं" के स्थान पर " कृत्रिम फर उसकी वस्तुएं के अलावा" पढ़ा जाये;
- (iii) क्रम सं0 233 में, स्तंभ (3) में "सिलाई की सुइयां" का लोप किया जाएगा;
- (iv) क्रम सं0 247 में, स्तंभ (3) में '0.12.5 मिलीमीटर" के स्थान पर "0.15 मिलीमीटर" पढ़ा जाये;
- (v) क्रम सं0 323 में, स्तंभ (2) में "8522 90" के स्थान पर "8422 90" पढ़ा जाये;
- (vi) क्रम सं0 395 में, स्तंभ (3) में "प्रकाशीय फाइबर" के स्थान पर 'प्रकाशीय फाइबर केबल" पढ़ा जाये;
- (vii) क्रम सं0 447 में, स्तंभ (3) में "और अन्य लेखनी" का लोप किया जायेगा;

(घ) अनुसूची IV-28%,-

- (i) क्रम सं0 158 में, स्तंभ (3) में "प्रकाशिक फाइबर, बंडल या केबलों के लिए संबंधन" के स्थान पर "प्रकाशिक फाइबर, प्रकाशिक फाइबर के बंडल्स या केबल्स" पढ़ा जाये;
- (ii) क्रम सं0 161 में, स्तंभ (3) में "प्रकाशिक फाइबर" के स्थान पर "प्रकाशिक फाइबर केबल्स" पढ़ा जाये;
- (iii) क्रम सं0 215 में, स्तंभ (3) में 'विडियो गेम कंसोलस और मशीन" के स्थान पर 'विडियो गेम्स कंसोलस और मशीन, आर्टिकल और श्रृंखला बिलियार्ड (9504 20 00), अन्य गेम्स जो सिक्के के द्वारा खेले जाते हैं, बैंक नोटस, केसिनो गेम्स (9504 20 00), और अन्य (9504 90 90 के बोर्ड गेम्स के अलावा)" पढ़ा जाये ।

[फा.सं. 354/117/2017-टीआरयू]

(मोहित तिवारी)

अवर सचिव, भारत सरकार